न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 94/2025 निर्णय दिनांकः 23.06.2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/186
ज्याणी पत्नी गोपालराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थिनी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 803/77 तादादी 3.60 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इस खेत को प्रार्थिनी ने पूर्व खातेदार गोपालराम, बीरबल, भागू व मनोहरी पुत्रगण/पुत्री स्व. गंगाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। प्रार्थिनी के इस खरीद शुदा खेत के दक्षिणी तरफ खेत खसरा नम्बर 804/77 तादादी 7.6500 हैक्टेयर स्थित है। खसरा नम्बर 803/77 व 804/77 पहले मौका पर खसरा नम्बर 77 के रूप में एकल रहे है, कालान्तर में पूर्व खातेदारों ने उक्त खसरा भूमि का विभाजन करवा लिया द्य यह है कि प्रार्थिनी के खरीद शुदा खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 803/377 तादादी 3.6000 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर के दक्षिणी तरफ स्थित खेत खसरा नम्बर 804/77 में प्रार्थिनी की कुछ जमीन दबी होने की आशंका होने पर प्रार्थिनी ने उपतहसील कार्यालय, सूडसर में पेमाईश की दरख्वास्त माह अप्रेल 2025 में पेश की जिस पर उप तहसीलदार (भू. अ.) सूडसर के आदेश क्रमांक भू.अ. 12025/01 दिनांक 21.04.2025 की पालना में हल्का पटवारी सूडसर द्वारा मौके पर पेमाईश की गई और मौके पर अक्स जरीब चलाकर नाप किया तो खसरा नम्बर 803/77 की दक्षिणी तरफ से 0.19 हैक्टेयर जमीन खसरा नम्बर 804/77 में दबी हुई पाई गई। हल्का पटवारी ने मौके पर नक्शा भी बनाया जो संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है, मौका नक्शा में खसरा नम्बर 803 द77 की 0.19 हैक्टेयर जमीन खसरा नम्बर 804/77 में दबी होना चिन्हित किया गया है। प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 803/77 की पेमाईश मौका रिपोर्ट नियमानुसार हल्का पटवारी द्वार अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी थी। उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 803/77 की सीमां रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 803/77 की 0.19 हैक्टेयर जमीन खसरा नम्बर 804/77 में दबी हुई होना बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है परन्तु प्रार्थिनी के खेत की सीमां कायम करने के बावजूद पत्थरगढ़ी करने का उल्लेख नहीं है । प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि की सीमां पत्थर आदि लगाकर कायम नहीं होने से प्रार्थिनी को अपनी भूमि में विकास कार्य, सुधार कार्य करने में असुविधाये हो रही है । प्रार्थिनी द्वारा बार बार निवेदन करने पर भी राजस्व [illegible] मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी के खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी अप्रार्थी द्वारा नहीं करवाई [illegible] अप्रार्थी का यह कानूनी व राजस्व अधिनियमों के तहत प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि [illegible] करवाना व सीमां की निशानदेही स्थापित करने का दायित्व है [illegible] अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार सीमां की निशानदेही व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:44 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पेमाईश का शुल्क अप्रार्थी को जमा करवा दिया तथा बार बार निवेदन करने पर भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थिनी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर फिर से निवेदन किया कि आप पिछले करीब एक माह से अधिक समय से मेरी खातेदारी भूमि का सीमांज्ञान करवाने के बावजूद पत्थरगढ़ी नहीं करवा रहे हैं जिस कारण मुझ प्रार्थिनी को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की बाड़, तार पट्टी करने में भारी असुविधा हो रही है, तब अप्रार्थी ने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। यही प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार व कारण है । प्रार्थिनी के पास अपने खेत की बाद पेमाईश पत्थरगढ़ी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता व प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि की पेमाईश, सीमां की निशानदेही करवाकर पत्थरगढ़ी करने के लिए नियमानुसार बाध्य है फिर भी अप्रार्थी जानबूझकर अपने राजकीय व कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 803/77 तादादी 3.6000 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जो वास्ते पत्थरगढ़ी हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र हर तरह से न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 803/77 तादादी 3.6000 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर श्रीडूंगरगढ़ की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर आदेश की पालना अप्रार्थी से करवाई जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाक अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 803/77 तादादी 3.6000 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 803/77 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:44 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)